

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—19/19 (2019/00115) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—संतोकदेवी पिता नन्दा कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तह0 रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—शंकरलाल पिता रूपा लुहार निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2—नारायण पिता मांगु कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1—जाकिर हुसैन

2—सज्जन बैरवा, हरिश टेलर

अधिवक्ता प्रार्थीया

अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 13.02.2020*

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर में प्रार्थीया की कृषि आराजियात खाता संख्या 150 में अकिंत आराजी संख्या 701/622 रकबा 0.04 है0 आराजी संख्या 702/623 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात प्रार्थी ने दिनांक 02.02.2006 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के विपक्षी संख्या 1 की मूल आराजी संख्या 622 व 623 में से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से ही प्रार्थी उस पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि के पड़ोस निम्न है — पूर्व :- रास्ता, पश्चिम :- विक्रेता स्वयं की भूमि, उत्तर:-विक्रेता स्वयं की भूमि दक्षिण:- थला सरहद की भूमि। उक्त पड़ोसो के मध्य स्थित भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रमाण में संवत 2072 से 2075 की जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस व विक्रयपत्र दिनांक 02.02.2006 की नकल पेश की है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अकिंत प्रार्थीया की आराजी संख्या 701/622 रकबा 0.04 है0 आराजी संख्या 702/623 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 है0 भूमि को रेवेन्यु ऐजेन्सी ने मुल आ.स. 622 व 623 से नये नम्बर बनाते हुए प्रार्थीया के नाम खातेदारी हक से दर्ज तो कर दिया परन्तु लापरवाही बरतते हुए प्रार्थीया की उक्त आराजी को राजस्व नक्शे में उपरोक्त पड़ोसो के मध्य अकिंत नही किया जबकि मौके पर प्रार्थीया उपरोक्त पड़ोसो के मध्य वक्त क्रय की दिनांक से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। रेवेन्यु ऐजेन्सी द्वारा प्रार्थीया की भूमि को विक्रयपत्र में अकिंत पड़ोसो के मध्य नक्शे में तरमीम नही करने का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 अपनी भूमि आराजी संख्या 761/622 रकबा 0.26 है0 मे से 0.03 है0 भूमि विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दी जिससे प्रार्थीया की आराजी संख्या 701/622 रकबा 0.04 है0 के पड़ोस अकिंत कर दिये जबकि विपक्षीगण उक्त फर्जी विक्रयपत्र के आधार पर प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है जिससे बहक प्रार्थीया विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय की स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया कि विपक्षीगण प्रार्थनापत्र की कलम



नम्बर 1 में अंकित पडौसो के मध्य स्थित प्रार्थीया की भूमि पर किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे यदि दौराने वाद विपक्षीगण प्रार्थीया की भूमि पर अवैध कब्जा कर लेवे जो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा पुनः प्रार्थीया को दिलाया जावे। अतः सादर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थीया विरुद्ध विपक्षीगण ताफैसला मूलवाद तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादर फरमाई जाए कि विपक्षीगण प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की ग्राम पाटियाखेड़ा के खाता संख्या 150 में अंकित कृषि आराजियात संख्या 701/622 रकबा 0.04 है० आराजी संख्या 702/623 रकबा 0.07 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 है० भूमि जो विक्रय पत्र में अंकित पडौसो के मध्य स्थित है में अंकित कृषि आराजियात में अवैध कब्जा नहीं रहा किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा प्रार्थीया को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। यदि दौराने वाद विपक्षीगण प्रार्थीया के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि को रहन, बय, बक्षीस कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा को पुनः प्रार्थीया को कब्जा दिलाया जाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब अंकन किया कि प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि में प्रार्थीया का कभी कब्जा नहीं रहा और प्रार्थीया ने अवैधानिक व बिना हक अधिकार से मनमर्जी से पडौस अंकित करवा लिये प्रार्थीया को विक्रय के समय ही उक्त आराजियात में स्थित पूर्व से पश्चिम दिशा होकर कुएं की ओर जाने वाले रास्ते के पश्चिम दिशा में स्थित भू भाग पर कब्जा सिपूद किया गया था और आज भी वह भूभाग रिक्त छोड़ा हुआ है और शेष भू भाग पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है राजस्व ऐजेन्सी ने गलत तरमीम की है। प्रार्थीया ने मुझ विपक्षी संख्या 1 की निरक्षरता का बेजा फायदा उठाते हुए डीडर्राईटर से साठ गांठ कर विक्रय पत्र में तथाकथित पडौस अंकित करवा दिये और कथित पडौसो के मध्य जबरन काबिज होने पर आमाद है प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं होकर मौके पर कोई कब्जा नहीं है और कोई अपूरणीय क्षति नहीं होती है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। इसी के साथ विपक्षी क्रमांक 2 के द्वारा भी अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अंकन किया कि प्रार्थीया की भूमि गलत तरमीम कर दी गई है विक्रय पत्र में प्रार्थीया ने गलत पडौस अंकित किये हैं मुझ विपक्षी द्वारा खरीद की गई भूमि पर प्रार्थीया के नम्बर को तरमीम कर दिया है जिससे प्रार्थीया कब्जा करने का प्रयास कर रही है मुझ विपक्षी को 0.06 है० भूमि पहले विक्रय की जो राजस्व रकार्ड में दर्ज है एवं 0.03 है० भूमि दिनांक 10.01.2019 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार विपक्षी का कब्जा है और इसी के साथ काउन्टर प्रार्थना पत्र के माध्यम से निवेदन किया कि विपक्षी के पक्ष में विरुद्ध प्रार्थीया व अन्य विपक्षीगण ताफैसला इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा फरमावे कि वादग्रस्त किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे और न अन्य से करावे और विपक्षी 2 के द्वारा निर्मित चारदिवारी व मकान के निर्माण को ध्वस्त न करे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में प्रार्थीया अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना को स्वीकार करने का निवेदन किया एवं विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा भी अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थना पत्र को खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में वर्णित प्रार्थना पत्र जवाब राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो पाया कि विपक्षी क्रमांक 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के प्रार्थीया को जिन पड़ौसों के मध्य कि भूमि विक्रय की गई है राजस्व ऐजेन्सी द्वारा उसी अनुसार राजस्व नक्शों में तरमीम की गई है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है विपक्षी क्रमांक 2 के द्वारा जो काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और प्रार्थना पत्र में वर्णित रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 10.01.2019 में जो पड़ौस दर्शाये गये हैं वो विपक्षी क्रमांक 1 विक्रेता खातेदार के द्वारा अकित किये गये हैं प्रार्थीया को भूमि पहले विक्रय की गई है विपक्षी क्रमांक 2 को भूमि बाद में विक्रय की गई है उक्त दोनो दस्तावेज के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि विपक्षी क्रमांक 1 व 2 के मध्य जो विवाद पैदा किया वो विपक्षी क्रमांक 1 के द्वारा किया जा रहा है विपक्षी 1 के द्वारा अपने जवाब के पैरा 4 में यह अंकन किया कि विपक्षी संख्या 1 की निरक्षरता का बेजा फायदा उठाते हुए डीडर्राईटर से मिलकर विक्रय पत्र में पड़ौस अकित करवा दिये जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है यह कथन मनगढ़त बेबुनियाद और रेकार्ड से परे है विपक्षी 1 का कथन अगर प्रार्थीया के मामले में स्वीकार भी किया जाता है तो फिर विपक्षी क्रमांक 2 के विक्रय पत्र 10.01.2019 में पड़ौस किसने दर्ज करवाये ? विपक्षी 2 के दस्तावेज में अकित पड़ौसों के सम्बन्ध में विपक्षी क्रमांक 1 मौन क्यों है इस सारे दृष्य से यह सिद्ध है कि उक्त विवाद का कारण विपक्षी क्रमांक 1 है ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 का कथन किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला होकर रेकार्ड एवं दस्तावेज के अनुरूप है जो स्वीकार योग्य है विपक्षी क्रमांक 2 का जवाब प्रार्थीया के अनुरूप स्वीकार योग्य नहीं है किन्तु आगे विवाद नहीं बढ़े प्रकरण को पेचीदगियों से बचाने के लिये आशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्याय हित में है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार के साथ साथ विपक्षी क्रमांक 2 का भी आशिक प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वाद वर्णित आराजियात खाता संख्या 150 में अकित आराजी संख्या 701/622 रकबा 0.04 है 0 आराजी संख्या 702/623 रकबा 0.07 है 0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.11 है 0 भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उभयपक्ष को ताफैसला तक पांबद किया जाता है कि उक्त आराजियात पर वर्तमान में जिस पक्ष का कब्जा मौजुद है उसकी यथास्थिति बनाये रखे किसी प्रकार का विवाद नहीं करे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावे बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
13.2.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

